संख्या:7075/नौ-5-13-178बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी, 2014

विषयः जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर पुनर्गठन पेयजल परियोजना अनुमोदित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी.एम.यू./1195/39/2013, दिनांक-08.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर पुनर्गठन पेयजल योजना की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ.एन.-59(3)/पीएफआई-2013-299, दिनांक 17.06.2013 द्वारा रू.3369.29 लाख की स्वीकृति (सेन्टेज रहित) प्रदान की गयी है। सन्दर्भित परियोजना को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक- 07.12.2013 में परियोजना की प्रस्तावित लागत रू.3777.68 लाख के सापेक्ष रू.3712.02 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत के रूप में रू.328.72 लाख एवं लेबर सेस की धनराशि रू.26.30 लाख सम्मिलित है। अतएव सन्दर्भित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू.3712.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं परियोजना हेतु प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त रू.1347.72 लाख तथा उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रू.168.47 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू.1516.19 लाख (पन्द्रह करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र) की निम्नलिखित विवरण शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रूपये लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर पुनर्गठन पेयजल योजना	3369.29	3777.68	3712.02	3712.02	1347.72	168.47	1516.19

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि एक मुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. निदेशक/एस.एल.एन.ए., नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
7. योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. परियोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. प्रायोजना निर्माण के पश्चात इसका रख-रखाव नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर द्वारा किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-03-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा.10-के.+रा.)-35-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-990/दस-2014, दिनांकः 21 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-7075(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/सुल्तानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. मुख्य अभियन्ता(फैजाबाद क्षेत्र), उ.प्र. जल निगम, फैजाबाद।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर।
12. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।